अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 203/2014

अपीलार्थी – सुशीला देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक1390 दिनांक 19.6.2014 के विरूद्ध स्थानानंतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि छातापुर सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0–109 परमेश्वरी यादव घर के निकट दिनांक 22.8.2013 को 2 बजे अपराह्न में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्न अनियमितताऐं सामने आई जो निम्न है:– सेविका /सहायिका का कार्य असन्तोषप्रद, केन्द्र संचालन का कार्य सेविका अपने घर से करती है, निरीक्षण तिथि को पोषाहार वितरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला। T.H.R. वितरण हेतु केन्द्र पर 400.00 kg दाल, एवं 20 kg चावल उपलब्ध था जो निर्धारित मात्रा से कम था। केन्द्र पर नाम बौर्ड फ्लैक्सी बौर्ड, मेनु लाभार्थी की सूची आदि प्रदर्शित नहीं था।

उपर्युक्त अंकित अनियमितताऐं के संबंध में सेविका श्रीमती सुशीला देवी/ सहायिका श्रीमती मीना देवी से कार्यालय पत्रांक 1805/प्रो0 दिनांक 13.12.2013 से स्पष्टीकरण की

माँग किया गया एवं स्पष्टीकरण एवं सुनवाई की तिथि 3.6.2014 को निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को सेविका ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किए अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि केन्द्र का संचालन सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार सुचारूरूपेण चलाती हूँ, केन्द्र मेरे घर के बगल में ही स्थित संजीव कुमार यादव के घर में संचालित होता है, जिसका मासिक किराया सी0डी0पी0ओ0 छातापुर द्वारा मकान मालिक को देय होता है, साक्ष्य के तौर पर मकान मालिक द्वारा प्रदत्त किराया प्रमाण पत्र अवलोकनार्थ संलग्न किया गया। केन्द्र का नाम, बौर्ड फ्लैक्सी बौर्ड, ये सभी चीजे कागज पर लिखकर सटा हुआ है, जबकि चार्ट केन्द्र के भीतर टंगा हुआ था, जिसे प्रोग्रम पदाधिकारी ने नजर अंदाज कर दिया । उक्त तिथि को निरीक्षी पदाधिकारी के आने से पूर्व 26 लाभार्थियों को T.H.R वितरण किया गया था, शेष बचे लाभुको के बीच उनके अनुरोध पर ही T.H.R. वितरण होने बाकी थे, जिसे 4:00 बजे वितरण करना था। सविका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण जबाव से असंतुष्ट होकर सेविका /सहायिका को चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1390 दिनांक 19.6.2014 निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष साक्ष्य, कागजात प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को T.H.R. वितरण दिवस था, सेविका /सहायिका द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा एवं बच्चों को पूरक पोषाहार खिला कर समयानुकूल छुट्टी दी गई, तथा T.H.R. वितरण दिवस होने के कारण केन्द्र पर 2:00 बजे अपराह्न तक सेविका/सहायिका केन्द्र पर मौजूद थी, एवं T.H.R. 26 लाभुकों को निर्धारित मात्रानुरूप दिया गया था, शेष लाभुक जो मजदुर वर्ग के थे तथा पटवन कार्य में व्यवस्त थे उनके अनुरोध पर ही कि वे लोग 4:00 अपराह्न में T.H.R.(कच्चा अनाज) प्राप्त करेंगे, इंतजार में बैठे थे, तथा उनका राशन केन्द्र भवन में सुरक्षित रखा गया था, इसी बीच 2:00 बजे निरीक्षी पदाधिकारी आए केन्द्र खुला था, सेविका/ सहायिका मौजूद थी, सामग्री केन्द्र पर मौजूद था, किसी भी लाभुक वर्ग से सेविका के विरूद्ध कोई शिकायत व आरोप नहीं लगाया गया, बावजूद गलत व मनगढ़न्त आरोप लगाकर सेविका से स्पष्टीकरण पूछा गया । स्पष्टीकरण भी दिया गया । साक्ष्य के तौर पर लाभुक वर्ग के द्वारा हस्ताक्षर युक्त , एवं नियम मुक्त प्रतिवेदन भी दिया गया, जिस पर जन प्रतिनिधि द्वारा भी अनुशंसित था, वैगर तथ्यात्मक व तार्किक रूप से विवेचना किए बिना

ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी को चयन मुक्त आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः गलत व नियम विरोधी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश न्यायिक दृष्टि से दोषपूर्ण व कमजोर है, चूँकि आदेश पारित करते समय साक्ष्यो सबुतों एवं स्पष्टीकरणके वर्णित तथ्यो का न्यायिक दृष्टि से समीक्षा कर नहीं किया गया, बल्कि यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया गया , जो अनुचित गलत है,तथा उसे खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी T.H.R. वितरण दिवस को 2:00 बजे अपराह्न में केन्द्र पर गए केन्द्र खुला था सेविका /सहायिका केन्द्र पर मौजूद थी T.H.R.उस वक्त 26 लाभुको को दे दिया गया था तथा कुछ लाभुक बिलंव से आने की सूचना भेजवाये चूँकि वे पटवन कार्य में लगे थे उनके लिए T.H.R. अनाज की मात्रा केन्द्र पर मौजूद थी, उन्होंने किसी भी लाभुको का बयान या रिर्पोट प्राप्त नहीं किए जब यहाँ से गये तो सीधे स्पष्टीकरण पूछ कर चयन मुक्ति आंदेश निर्गत कर दिये जो गैर न्यायिक आदेश है, जबकि अपने स्पष्टीकरण में अपीलार्थी ने सभी लाभुको का हस्ताक्षर युक्त बयान एवं स्थानीय मुखिया/ वार्ड सदस्यों का अनुशंसित पत्र सौपा कि केन्द्र का संचालन समचित रूप से सही तरीके से संचालित होता है, हमलोगो को सेविका/ सहायिका क कार्य प्रणाली से कोई दिक्कते नहीं है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विभागीय मार्गदर्शिका संशोधित –2013 में पत्रांक 2120 दिनांक 20.6. 2012 के कंडिका B के 3–1 (a) अंकित है कि प्रतिदिन का पोषाहार अगर पूर्ण मात्रा में बना है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, एवं उसी पत्रांक की कंडिका (c) 11(8) में अंकित है कि T.H.R. दिवस को टी0एच0आर0 की मात्रा अगर पूर्ण है लेकिन अन्य गड़वड़िया है तो सेविका को कड़ी चेतावनी एवं सुधार का एक मौका दिया जायेगा। इसके बाद उपरोक्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह बताया कि विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लघंन कर कार्रवाई सेविका के विरूद्ध की गई है, जो पूर्णतः गलत है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के अधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्रश्नगत केन्द्र निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को खुला था सेविका/सहायिका मौजूद थी T.H.R. वितरण दिवस को भी लाभुक बच्चों को परक शिक्षा एवं पोषाहार खिलाकर घर के लिए दिया किया

गया आँगनबाड़ी केन्द्र निजी मकान में न चल कर किराये के मकान में चलता है, T.H.R. वितरण दिवस को कोई भी लाभुक ने यह बयान नहीं दिया निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज दिया गया है, हाँ यह बात निरीक्षी पदाधिकारी ने बताया कि लाभुकों की सूची एवं दिए जाने वाले की साम्रगी सूची केन्द्र वरामदे पर नहीं था भीतर टंगा था, जो सभी लाभुकों के लिए प्रदर्शित न था, चावल की गुणवत्ता घटिया था, जिसमें सुधार आगे करने की बात बताई गई है।

चूँकि केन्द्र नियमित रूप से संचालित पाया गया T.H.R.वितरण में किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं है, गड़वड़ी होने की बात किसी लाभुक ने नहीं बताया, अतः इस आधार पर कठोरतम दंड चयन मुक्ति का आदेश गलत प्रतित होता है। चावल का किस्म अच्छा नहीं था, साथ ही लाभुको की सूची जिसमें मात्रा अंकित है, पारदर्शित व स्पष्ट नहीं दिखा इस आरोप में सेविका को प्रन्द्रह दिनों के बराबर टी0एच0आर0 मद में प्राप्त राशि आर्थिक दंड जमा करने के उपरान्त सेविका को अपने पद पर चयन बरकरार रखने हेतु यह न्यायालय निदेश करती है। सेविका अपने किए गए गलती को भविष्य में सुधार लायें। सुधार होने पर ही पोषक क्षेत्र के लाभुक माताऐं बच्चों से ही उन्हें यश मिलेगी प्रतिष्ठा मिलेगा। साथ ही लाभुक वर्ग में विश्वास होगा कि सरकारी ये कार्य पूर्णतः पारदर्शी है, सही है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा